

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
17/2 16	<p>अभिमानक पत्राचार उपस्थित/राजस्व अपील अधिकारी वाक्य पत्राचार की पर है। अतः कार्यवाही प्रस्तावित अभिमानक/व्यक्तिगत दिनांक 9.10.18</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
30/8 18	<p>अपी. द्वारा जारी अभिमानक पत्राचार - पत्र प्रस्तुत दिये जाने पर पत्राचली आज जारी पर ली गई। प्रस्तुत पत्राचार - पत्र से निवेदन दिया है कि तहत न्याया. द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 RTACT का निर्णय दिया जा चुका है। एवं अब इस अपील संबंधित अपील से कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः अपील स्वार्थी की साध। पत्राचार - पत्र के साथ तहत अदालत के निर्णय दिनांक 01.6.18 की प्रति प्रस्तुत की।</p> <p style="text-align: center;">हमने पत्राचली एवं पत्राचार पत्र के साथ संलग्न निर्णय दिनांक 01.6.18 की प्रति का अंशोक्त दिया। अंशोक्त अपीलान्त इस अपील प्रस्ता के आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांतस आगे नहीं चलाना जाने के कारण इसी स्तर पर स्वार्थी की जाती है। पत्राचली संबंधित शुभार होकर पत्राचार से इस की जाकर बाद तबतक आवता दारिद्र्य दफ्तार की जावे।</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पटेल राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	